

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
 प्रकरण क्रमांक 481/2011
 संस्थापित दिनांक 04/07/2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. मानसिंह पुत्र जरदान सिंह गुर्जर उम्र 48 वर्ष
 निवासी ग्राम बंके का पुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा- 279, 337 (4 शीर्ष), 304ए भा.द.सं एवं मो0अधि. की धारा 146/196)
 (राज्य द्वारा एडीपीओ- श्रीमती हेमलता आर्य)
 (आरोपी द्वारा अधिवक्ता- श्री उदल सिंह गुर्जर)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 31.10.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 06.04.11 को करीबन साढ़े आठ बजे गैस गोदाम के आगे गोहद चौराहा में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ऑटो क्र. एम.पी-07-आर-0722 को बिना बीमा के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए ऑटो को पलटकर उसमें बैठे आहत गिराज, ब्रजकिशोर, देवेन्द्र, एवं शिशुपाल को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति तथा उसमें बैठी भूरीबाई को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा.द.सं. की धारा 279, 337 (4 शीर्ष), 304ए तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.11 को फरियादी पुरुषोत्तमसिंह गोहद चौराहे से ऑटो क्रमांक एम.पी.-07-आर-0722 में बैठकर गोहद आ रहा था साथ में अन्य सवारियां भी बैठी थीं। ऑटो चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर ऑटो को पलट दिया था ऑटो पलटने से उसमें बैठी सवारी गिराज, ब्रजकिशोर, देवेन्द्र, भूरीबाई एवं शिशुपाल के शरीर में चोटें आई थीं। ऑटो ड्राइवर सवारियों को छोड़कर भाग गया था। घटना गैस गोदाम के पास हुई थी। मौके पर राजवीर, लक्ष्मण, रामकृष्ण इत्यादि आ गये थे फिर वह रिपोर्ट करने थाने गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 53/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन

लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किय है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 06.04.11 को करीबन साढ़े आठ बजे गैस गोदाम के आगे गोहद चौराहा में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ऑटो क्र. एम.पी.07आर 0722 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ऑटो क्र. एम.पी 07 आर 0722 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए ऑटो को पलटकर उसमें बैठे आहत गिराज, ब्रजकिशोर, देवेन्द्र एवं शिशुपाल को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति तथा उसमें बैठी भूरीबाई को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की ?
3. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर ऑटो क्र. एम.पी 07 आर 0722 को चलाने का बीमा नहीं था ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी पुरुषोत्तम सिंह अ0सा01, आहत गिराज सिंह अ0सा02, डॉ. धीरज गुप्ता अ0सा03, ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ0सा04, ब्रजकिशोर अ0सा05, देवेन्द्र सिंह अ0सा06, रामकृष्ण पुजारी अ0सा07, रामकरण शर्मा अ0सा08, राजवीर अ0सा09, लक्ष्मण अ0सा010 एवं शिशुपाल सिंह अ0सा011 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी पुरुषोत्तमसिंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना कितने दिन पहले की है वह नहीं बता सकता है एक साल से ज्यादा समय भी हो सकता है एक ऑटो पलटा था वह उसमें बैठा था ऑटो दोपहर में पलटा था ऑटो गोहद चौराहा से गोहद के रास्ते में पलटा था वह पीछे बैठा था। ऑटो में खटर पटर हुआ था लेकिन उसके चोट नहीं आई थी। उसे नहीं पता कि उसमें कौन-कौन सी सवारियां बैठी थीं उसे यह भी नहीं पता कि ऑटो पलटने से किस किसको चोटें आई थी। ऑटो का चालक कौन था उसका नंबर क्या था उसे पता नहीं है। वह पुलिस के कहने पर थाने गया था जहां पुलिस ने उससे

हस्ताक्षर कराये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि गैस गोदाम के आगे ऑटो क्रमांक एम.पी-07-आर-0722 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर ऑटो को पलट दिया था।

9. आहत गिराज अ0सा02, ब्रजकिशोर अ0सा05, देवेन्द्रसिंह अ0सा06, रामकृष्ण अ0सा07 ने भी घटना दिनांक को गोहद चौराहे से गोहद ऑटो में आने तथा ऑटो के पलट जाने बाबत कथन किया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि ऑटो क्रमांक एम. पी-07-आर-0722 के चालक मानसिंह ने आरोपित ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए पलट दिया था।

10. राजवीर अ0सा09 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 6-7 साल पहले सुबह 8-9 बजे की है वह अपने गांव से गोहद बाजार की ओर आ रहा था। वह बंधा के आगे पहुंचा था तभी सामने से एक ऑटो आ रही थी वह ऑटो आगे जाकर पलट गयी थी। बहुत से लोग भागकर ऑटो के पास गये थे तो वह भी गया था उसने देखा था कि उसकी भाभी भूरीबाई एवं भतीजा शिशुपाल भी ऑटो में थे। उसकी भाभी भूरीबाई एवं भतीजे शिशुपाल के भी चोटें आई थी। उक्त गाड़ी को मानसिंह चला रहा था जिसे वह पहचानता है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह मानसिंह को पहले से जानता था वह गांव में आता जाता था। उसे मौके पर चालक का नाम वहां खड़े लोगों ने बताया था। वह घटना से पहले मानसिंह को नाम से नहीं जानता था मानसिंह घटनास्थल पर उसके पहुंचने से पहले भाग गया था वह घटना के समय थोड़ी देर दो खेत पीछे था उसे नहीं मालूम कि घटना में किस किसको चोटें आई थीं।

11. शिशुपालसिंह अ0सा011 ने भी घटना दिनांक को अपनी मां के साथ ऑटो क्रमांक एम. पी-07-आर-0722 में बैठकर गोहद चौराहे से गोहद जाने एवं आरोपी मानसिंह द्वारा ऑटो को पलट देने बाबत प्रकटीकरण किया है।

12. साक्षी लक्ष्मण अ0सा010 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन गैस गोदाम के पास ऑटो क्रमांक एम.पी-07-आर-0722 पलट गया था ऑटो का चालक ऑटो को बहुत लापरवाही से चला रहा था। वह गोहद की तरफ से साइकिल से जा रहा था उसने साइकिल को रोककर देखा था तो भूरीबाई एवं उसमें बैठे सभी लोगों को चोटें आई थी उसने ऑटो चालक को नहीं देखा था। उसमें बैठी सवारियां उसे जानती थी वह लोग उसका नाम मानसिंह बता रहे थे और कह रहे थे कि मानसिंह भाग गया है। इलाज के दौरान भूरीबाई की मृत्यु हो गयी थी। सफीना फार्म प्र0पी-14 एवं नक्शा पंचायतनामा प्र0पी-15 है जिनके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. डॉ० धीरज गुप्ता अ0सा03 द्वारा आहत शिशुपालसिंह, देवेन्द्र, ब्रजकिशोर एवं गिराज की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-5, प्र0पी-6, प्र0पी-7 एवं प्र0पी-8 को प्रमाणित किया गया है। आरक्षक चालक रामकरण शर्मा अ0सा08 द्वारा आरोपित ऑटो क्रमांक एम.पी-07-आर-0722 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी-13 को प्रमाणित किया गया है एवं ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ0सा04 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी पुरुषोत्तमसिंह अ0सा01 जिसके द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटना दिनांक को ऑटो में बैठकर गोहद चौराहे से गोहद जाना तथा रास्ते में ऑटो का पलट जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उक्त ऑटो का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि ऑटो क्रमांक एम.पी-07-आर-0722 के चालक ने आरोपित ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाकर ऑटो को पलट दिया था। इस प्रकार फरियादी पुरुषोत्तमसिंह अ0सा01 ने ऑटो के पलटने से दुर्घटना कारित होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि पलटने वाले ऑटो का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16. आहत गिर्राज अ0सा02 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन अपने घर से खाना लेकर गोहद मण्डी श्रीव्हीलर में बैठकर जाना एवं गैस गोदाम के पास श्रीव्हीलर का पलट जाना बताया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने ऑटो का नंबर नहीं देखा था। उसे कौन चला रहा था उसने यह भी नहीं देखा था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपित ऑटो क्रमांक एम.पी-07-आर-0722 के चालक मानसिंह ने श्रीव्हीलर को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया था। इस प्रकार आहत गिर्राजसिंह अ0सा02 ने भी ऑटो पलटने से दुर्घटना कारित होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपित ऑटो का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

17. आहत ब्रजकिशोर अ0सा05 ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना वाले दिन वह टैक्सी में बैठकर गोहद चौराहे से गोहद आ रहा था तो गैस गोदाम के पास आकर टैक्सी पलट गयी थी जिससे उसके हाथ एवं पेट में चोटें आई थीं। देवेन्द्रसिंह अ0सा06 ने भी घटना वाले दिन टैक्सी में बैठकर गोहद चौराहे से गोहद जाना एवं गैस गोदाम के पास ऑटो के पलट जाने बाबत कथन दिया है। साक्षी रामकृष्ण अ0सा07 ने भी घटना वाले दिन चौराहे से गोहद ऑटो में आना तथा ऑटो पलटने से उसकी बहू भूरीबाई को एवं उसके बच्चे को चोट आना बताया है। परन्तु उक्त सभी साक्षीगण द्वारा यह नहीं बताया गया है कि पलटने वाले ऑटो का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपित ऑटो क्रमांक एम. पी-07-आर-0722 को आरोपी मानसिंह ने तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया। इस प्रकार आहत ब्रजकिशोर अ0सा05, देवेन्द्रसिंह अ0सा06 एवं रामकृष्ण अ0सा07 ने भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

18. साक्षी लक्ष्मण अ0सा010 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। गैस गोदाम के पास ऑटो क्रमांक एम.पी-07-आर-0722 पलट गया था। ऑटो का चालक ऑटो को बहुत लापरवाही से चला रहा था। ऑटो के चालक को उसने नहीं देखा था। ऑटो में बैठी

सवारियां उसको नहीं जानती थी वह लोग उसका नाम मानसिंह बता रहे थे और कह रहे थे कि मानसिंह भाग गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने आरोपी को भागते हुए देखा था। इस प्रकार साक्षी लक्ष्मण अ0सा010 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है उसने ऑटो के चालक को नहीं देखा था। ऑटो में बैठी सवारियों उसका नाम मानसिंह बता रही थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने आरोपी को भागते हुए देखा था। इस प्रकार साक्षी लक्ष्मण अ0सा010 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं। साक्षी लक्ष्मण अ0सा010 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह भी बताया है कि उसने ऑटो चालक को नहीं देखा था। ऑटो में बैठी सवारियां उसका नाम मानसिंह बता रही थी और कह रहे थे कि मानसिंह भाग गया है। साक्षी लक्ष्मण अ0सा010 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि उसने ऑटो चालक को मौके पर नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे मानसिंह का नाम किस सवारी ने बताया था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उक्त साक्षी के कथनों से यही प्रकट होता है कि उसके पहुंचने के पहले दुर्घटनाग्रस्त होने वाले ऑटो का चालक भाग चुका था एवं उक्त साक्षी ने आरोपी को ऑटो चलाते हुए नहीं देखा था। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

19. साक्षी राजवीर अ0सा009 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी मानसिंह द्वारा ऑटो को चलाते हुए पलट देना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि उक्त गाड़ी को मानसिंह चला रहा था जिसे वह पहचानता है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसे मौके पर चालक का नाम वहां खड़े लोगों ने बताया था एवं मानसिंह घटनास्थल पर उसके पहुंचने के पहले भाग गया था। इस प्रकार राजवीर अ0सा009 के कथनों से यह दर्शित है कि उसने स्वयं आरोपी को मौके पर नहीं देखा था उसे चालक का नाम वहां खड़े लोगों ने बताया था परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे मानसिंह का नाम किस व्यक्ति द्वारा बताया गया था। साक्षी राजवीर अ0सा009 के कथनों से यह दर्शित है कि उसने स्वयं आरोपी को मौके पर नहीं देखा था। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

20. साक्षी शिशुपाल अ0सा011 ने भी अपने कथन में आरोपी मानसिंह द्वारा ऑटो क्रमांक एम.पी-07-आर-0722 चलाने एवं उक्त ऑटो को पलट देने बाबत प्रकटीकरण किया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह घटना के समय दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता था। सवारी चिल्ला रही थी कि ऑटो पलट गया है और मानसिंह भाग गया है। वह मानसिंह को सामने आने पर नहीं पहचान सकता है। इस प्रकार शिशुपालसिंह अ0सा011 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी मानसिंह द्वारा ऑटो चलाना बताया है परन्तु यह बात साक्षी शिशुपालसिंह द्वारा अपने पुलिस कथन में नहीं बतायी गयी है। साक्षी शिशुपालसिंह के पुलिस कथन में आरोपी मानसिंह द्वारा ऑटो पलटने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी शिशुपालसिंह का कथन उसके पुलिस कथन से विरोधाभासी रहा है। साक्षी शिशुपालसिंह अ0सा011 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह मानसिंह को नहीं पहचान सकता है। ऐसी स्थिति में साक्षी शिशुपालसिंह अ0सा011 के कथनों से भी संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित ऑटो को आरोपी मानसिंह चला रहा था।

21. जहां तक ए.एस.आई. तहसीलदारसिंह अ0सा004 के कथन का प्रश्न है तो तहसीलदारसिंह अ0सा004 ने दिनांक 18.04.11 को आरोपी मानसिंह से आरोपित ऑटो रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी-9 तैयार करना बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि

घटना दिनांक 06.04.11 की है तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी-9 के अनुसार आरोपी से दिनांक 18.04.11 को आरोपित ऑटो जप्त किया गया है एवं दिनांक 18.04.11 को आरोपी से आरोपित ऑटो जप्त होने से मात्र से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित ऑटो को आरोपी मानसिंह चला रहा था एवं आरोपी मानसिंह ने आरोपित ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए पलट दिया था।

22. जहां तक आरोपी द्वारा घटना दिनांक को बिना बीमा के आरोपित ऑटो चलाने का प्रश्न है तो सर्वप्रथम जप्तीकर्ता ए.एस.आई. तहसीलदारसिंह अ0सा04 द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आरोपी के पास आरोपित ऑटो का बीमा नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रकरण में आई साक्ष्य से यह ही प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को आरोपित ऑटो को आरोपी मानसिंह चला रहा था। ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि घटना दिनांक को आरोपी ने बिना बीमा के आरोपित ऑटो को चलाया था। ऐसी स्थिति में आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 में भी दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

23. प्रकरण के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी पुरुषोत्तमसिंह अ0सा01, आहत गिराजसिंह अ0सा02, ब्रजकिशोर अ0सा05, देवेन्द्रसिंह अ0सा06 एवं रामकृष्ण अ0सा07 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी राजवीर अ0सा09, लक्ष्मण अ0सा010 एवं शिशुपालसिंह अ0सा011 के कथन भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03, ए.एस.आई. तहसीलदारसिंह अ0सा04 एवं आर0 चालक रामकरण शर्मा अ0सा08 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित ऑटो को आरोपी मानसिंह चला रहा था एवं मानसिंह ने आरोपित ऑटो को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए ऑटो को पलटकर वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

24. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 06.04.11 को करीबन साढ़े आठ बजे गैस गोदाम के आगे गोहद चौराहा में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ऑटो क्रमांक एम.पी-07-आर-0722 को बिना बीमा के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए ऑटो को पलटकर उसमें बैठे आहत गिराज, ब्रजकिशोर, देवेन्द्र, एवं शिशुपाल को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति तथा उसमें बैठी भूरीबाई को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी मानसिंह को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0द0स0 की धारा 279, 337 (चार शीर्ष), 304ए, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

26. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

27. प्रकरण में जप्तशुदा ऑटो क्रमांक एम.पी-07-आर-0722 अपील अवधि पश्चात उसके

पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर दिया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 31.10.17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)